प्रेस नोट

थाना कोतवाली, झाँसी

दिनाँक 01.07.2025

- **थाना कोतवाली/नवाबाद व राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही,**
- **अपराधियों द्वारा अपराध कारित कर अर्जित की गयी करीब 32 करोड़ कीमत की चल-अचल सम्पत्ति कुर्क,**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी, श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल पर्यवेक्षण व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में झाँसी पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम तथा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही में अभियुक्तगण रमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र राजाराम व हर्षित गुप्ता पुत्र रमेश चन्द्र गुप्ता निवासीगण 1499 जानकीपुरम सिविल लाइन थाना नवाबाद जनपद झांसी सम्बन्धित मु0अ0सं0 48/2025 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना नवाबाद, जनपद झाँसी द्वारा अपने भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करके अपराध से अर्जित की गयी चल-अचल अवैध सम्पत्ति कुल मूल्यांकन मूल्य- 31,86,37505/- (इकत्तीस करोड़ छियासी लाख सैंतीस हजार पांच सौ पांच रुपये) को जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी के आदेश वाद सं0 2463/25 धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्तीकरण किये जाने के आदेश के अनुपालन में थाना कोतवाली व राजस्व टीम नायब तहसीलदार व लेखपाल आदि व स्थानीय पुलिस बल के साथ अभियुक्तगण रमेश चन्द्र व हर्षित गुप्ता उपरोक्त की सम्पत्ति को कुर्क जब्त किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी के आदेश/निर्देशों के क्रम में उक्त सम्पत्ति के सदृश्य स्थान पर नोटिस बोर्ड लगवाया गया एवं डुगडुगी पिटवा कर उक्त सम्पत्ति भवन स्थल के आसपास के मोहल्लों में कुर्की जब्तीकरण किये जाने की मुनादी कराई गई।

दोनों अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी है, जनपद के विभिन्न थानों पर अभियुक्त रमेश चन्द्र के विरुद्ध 09 व अभियुक्त हर्षित उपरोक्त के विरुद्ध 03 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त का विवरण-

1. रमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र राजाराम
2. हर्षित गुप्ता पुत्र रमेश चन्द्र गुप्ता निवासीगण 1499 जानकीपुरम सिविल लाइन थाना नवाबाद जनपद झाँसी

अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 48/2025 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना नवाबाद, जनपद झाँसी

कुर्क/जब्त की गयी सम्पत्ति का मूल्य- 318637505/- (इकत्तीस करोड़ छियासी लाख सैंतीस हजार पांच सौ पांच रुपये)

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-

चल सम्पत्तिः-

1. बैकों में जमा धनराशि **-** 2,26,20,005/-रुपये

2. दो वाहन, अनुमानित बाजार मूल्य- 15,68,500/- रुपये

अचल सम्पत्तिः- कुल 116 अचल सम्पत्ति**,** जिसमें आवासीय प्लाट व कृषि भूमि शामिल है, अनुमानित कीमत – 294449000/- रुपये